


हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

## प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएँ छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही में से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांक:1.1.2012

  
(दीपक गुप्ता)  
सदस्य सचिव

## परिचय

हिन्दू कानून का इतिहास तीन हजार साल पहले से भी पीछे शुरू होता है। इसका मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। जो आर्य भारत में बसे थे, उन्होंने पारिवारिक मुद्दों के अपने ही नियम बनाए। कई सदियों तक होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा सामाजिक सुधारों के कारण पारिवारिक कानूनों में कई परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के बाद हिन्दू कानून के कई क्षेत्रों में अनेक संहिताकरण तथा सुधार हुए। विवाह तथा संबंध-विच्छेद ऐसा क्षेत्र है, जिसे हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 में संहिताबद्ध किया गया। हिन्दुओं में विवाह की रीतियां तथा विवाह की मान्यता हिन्दू मैरिज एक्ट से शासित है।

यह नया कानून जो विवाह को एक अनुबंध मानता है। वह इस वैदिक धारणा को कि विवाह सांस्कारिक है तथा स्त्री एवं पुरुष के बीच का अटूट बंधन है भी स्वीकार करता है।

प्राचीन हिन्दू कानून में तलाक की संकल्पना स्वीकार्य नहीं थी। नए एक्ट ने यह महत्वपूर्ण नवीनकरण किया है।

जैसा कि आशा की जाती है, हिन्दू मैरिज एक्ट जहां तलाक तथा वैवाहिक राहतें देता है, वहीं उसमें अनुवर्ती तथा आकस्मिक राहतों का भी उचित प्रावधान है।

**यह अधिनियम किस-किस व्यक्ति पर लागू होता है –**

- (क) हिन्दू
- (ख) बौद्ध
- (ग) जैनी
- (घ) सिख

**हिन्दू विवाह के लिए कौन-कौन सी रस्में जरूरी हैं ?**

- (क) हिन्दू विवाह में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के रीति-रिवाज व रस्म के अनुसार विवाह सम्पन्न किया जा सकता है।
- (ख) जहाँ इन रस्म व रिवाज में सप्तपदी शामिल हो (जैसे कि विवाह में अग्नि के समक्ष दूल्हे और दुल्हन के द्वारा सात फेरे लेना), वहाँ विवाह तब सम्पन्न होता है जब सातवां फेरा पूरा होता है।

<b>हिन्दू विवाह के लिए अनिवार्य शर्तें –</b>	<b>शर्तों का उल्लंघन करने पर सजा–</b>
हिन्दू विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए– (क) दोनों पक्ष हिन्दू होने चाहिए।  (ख) विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए।	
(ग) – कोई भी पक्ष शादी के लिए मानसिक रोग के कारण मान्य सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। – कोई भी पक्ष ऐसे मनोविकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए कि विवाह व बच्चे पैदा करने के	

<p>लिए अयोग्य हो। – कोई भी पक्ष पागलपन के आवर्ती दौरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।</p>	
<p>(घ) दोनों पक्ष आपस में किसी भी निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए जब तक कि रीति-रिवाज इसकी अनुमति न देते हों।</p>	<p>एक मास का साधारण कारावास और/या 1000/- रुपये जुर्माना</p>
<p>(ङ.) दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए <b>sapindas</b> नहीं होने चाहिए जब तक कि रीति-रिवाज ऐसा करने की अनुमति न देते हों।</p>	<p>एक मास का साधारण कारावास और/या 1000/- रुपये जुर्माना</p>
<p>(च) दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>दो साल तक का सश्रम कारावास और/या एक लाख रुपये जुर्माना</p>

**कौन से विवाह हर स्थिति में अमान्य माने जाते हैं –**

जहाँ निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन हो –

- (क) यदि विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित हो।
- (ख) यदि दोनों पक्ष आपस में निषिद्ध रिश्ते में हैं।
- (ग) यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे के **Sapindas** हैं।

**कौन से विवाह अदालत से अमान्यकरणीय घोषित कराये जा सकते हैं –**

कोई भी विवाह निम्नलिखित आधार पर अदालत के आदेशानुसार रद्द हो सकता है–

- (क) यदि शादी के समय से प्रतिवादी की नपुंसकता के कारण शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाए।

- (ख) यदि कोई पक्ष विवाह के लिए किसी मानसिक रोग के कारण सहमति देने में असमर्थ हो।
- (ग) यदि प्रतिवादी किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित है कि विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है।
- (घ) वह स्थिति जिसमें शादी के समय से प्रतिवादी पागलपन के आवर्ती दौर से प्रभावित हो।
- (ङ.) यदि शादी की किसी रस्म या प्रतिवादी से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य व परिस्थिति के बारे में याचिकाकर्ता की सहमति बल या धोखे से प्राप्त की गई हो।
- (च) यदि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हो।

***तलाक किस-किस आधार पर प्राप्त किया जा सकता है –***

विवाह के एक वर्ष उपरान्त तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता के केस में एक वर्ष से पहले तलाक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

**निम्नलिखित के आधार पर तलाक के आदेश द्वारा विवाह भंग हो सकता है –**

- (1) यदि विवाह के बाद अपने साथी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग किया हो।
- (2) प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।
- (3) यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष का परित्याग किया हो (कम से कम निरंतर दो साल के लिए)।

- (4) यदि धर्म परिवर्तन के कारण प्रतिवादी हिन्दू न रहा हो।
- (5) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।
- (6) यदि प्रतिवादी उग्र व लाईलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।
- (7) यदि प्रतिवादी संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
- (8) यदि प्रतिवादी किसी धार्मिक गठन को अपनाकर दुनियादारी त्याग देता है।
- (9) यदि प्रतिवादी के जीवित होने के बारे में सात वर्ष या उससे अधिक तक न सुना हो।

**कोई भी पक्ष निम्नलिखित के आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकता है –**

- (10) यदि न्यायिक अलगाव की डिक्री के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दोनों पक्षों के बीच सहवास न हुआ हो।
- (11) यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली न हुई हो।

**पत्नी तलाक के लिए निम्नलिखित आधार पर भी याचिका दायर कर सकती है –**

- (12) 1955 के अधिनियम आरम्भ होने से पहले पति ने दोबारा विवाह कर लिया था या उसकी कोई अन्य पत्नी याचिकाकर्ता के विवाह के समय जीवित थी।
- (13) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथून या पाशविकता का अपराधी हो।

- (14) धारा 125 के तहत या हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि पति के खिलाफ भरण-पोषण के आदेश पास होने के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास न हुआ हो।
- (15) यदि याचिकाकर्ता का 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हुआ हो और यदि उसने 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच में विवाह का खण्डन कर दिया हो।

#### **रीति-रिवाजों के तहत तलाक –**

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 29 रीति-रिवाज के तहत तलाक को भी मान्यता देती है परन्तु ऐसे रीति रिवाजों का अनुपालन एक लम्बे समय से लगातार हो रहा होना चाहिए। यह नियम निश्चित होना चाहिए और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

#### **क्या पक्षों की आपसी सहमति से तलाक हो सकता है –**

दोनों पक्ष आपसी सहमति से इक्वेटे तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं यदि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक अलग रह रहे हों और साथ रहने के इच्छुक न हों और वे दोनों सहमत हों कि विवाह को भंग किया जाना चाहिए। इस विषय में पूछताछ करने व दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात्, दोनों पक्षों द्वारा याचिका की प्रस्तुति के 6 माह उपरान्त और 18 माह से पहले, न्यायालय द्वारा तलाक का आदेश जारी किया जा सकता है।

#### **वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आदेश –**

जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक, पक्ष की संगति से बिना उचित कारण के अलग हो जाता है तब अदालत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश कर सकती है।

#### **अदालत के द्वारा न्यायिक अलगाव का आदेश-**

पति/पत्नी उपरोक्त तलाक के आधार 1 से 9 की नींव पर, न्यायिक अलगाव की याचिका दायर कर सकता/सकती है। पत्नी उपरोक्त तलाक के आधार 12 से 15 की नींव पर भी न्यायिक अलगाव की याचिका दायर कर सकती है।



**कौन सी अदालत में तलाक व अन्य याचिकायें दायर की जा सकती हैं –**

उस सत्र मण्डल के जिला न्यायधीश की अदालत में –

- क) जहाँ विवाह हुआ था।
- ख) जहाँ प्रतिवादी रहता है।
- ग) जहाँ पति और पत्नी दोनों विवाह के समय साथ रहते थे।
- घ) यदि पत्नी याचिकाकर्ता है वह याचिका की प्रस्तुति के दिन जहाँ रह रही है।

**अगर दोनों पक्ष अलग रहना चाहें तो क्या अदालत आदेश कर सकती है ?**

हाँ, धारा 10 के अंदर याचिका डाली जा सकती है तथा अदालत कानूनी भिन्नता (Judicial Separation) का आदेश कर सकती है। इस आदेश के बाद दोनों पक्षों को दाम्पत्य या विवाहिक जीवन के कर्तव्य/कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के बाद अदालत किसी भी पक्ष की याचिका पर अपना पहला आदेश रद्द कर सकती है।

**तलाक की अर्जी विवाह के कितने समय बाद डाली जा सकती है ?**

एक साल बाद।

यदि कोई खास या आवश्यक जरूरत हो तो पीड़ित अदालत में अर्जी दे सकता है कि उसे तलाक की याचिका एक साल से पहले दायर करने की अनुमति दी जाए।

**तलाक के आदेश के बाद दूसरा विवाह कब कर सकते हैं ?**

यदि तलाक के आदेश के खिलाफ कोई अपील न डली हो या उस अपील के डलने के अवधि खत्म हो जाए।

**तलाक के आदेश के बाद उस आदेश के खिलाफ अपील कितने दिनों में डाली जा सकती है ?**

90 दिनों के अंदर तलाक के फैसले के खिलाफ अपील डाली जा सकती है। यह अपील उच्च न्यायालय में डलती है।